

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/पी0एम0सी0/कार्य/881/2015...../ राँची, दिनांक-.....

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो० हीनू, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के परिक्षेत्राधीन गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर अन्तर्गत गुण नियंत्रण कार्यों की जाँच के लिए प्रयोगशाला पुर्नस्थापन हेतु रु० 40.99 लाख (रु० चालिस लाख निन्यानवे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के परिक्षेत्राधीन गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर अन्तर्गत गुण नियंत्रण कार्यों की जाँच के लिए प्रयोगशाला पुर्नस्थापन हेतु रु० 40.99 लाख (रु० चालिस लाख निन्यानवे हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विषयांकित कार्य हेतु मुख्यतः निम्न मशीनों का क्रय कर स्थापित किये जाएंगे :-

- (i) Universal Testing Machine
- (ii) Proctor Compaction Apparatus
- (iii) Digital Electronic Balance 100 Kg.
- (iv) Digital Electronic Balance 50 Kg.
- (v) Brass sieves
- (vi) Cube moulds made of steel
- (vii) Briquette mould
- (viii) LOS ANGLES Abrasion with Dash Pot
- (ix) Vicat Apparatus with Dash Pot
- (x) Aggregate Impact testing Machine with Blue Counter.
- (xi) Aggregate Crushing Value Apparatus
- (xii) Sieve shaker (Gyratory type)
- (xiii) Slump test apparatus
- (xiv) Digital Electronic Chemical Balance 300 gram
- (xv) Digital Electronic Balance capacity 30kg.





- (xvi) Length Gauge (Elongation Gauge)
- (xvii) Flakiness Gauge (Thickness Gauge)
- (xviii) Gauging Trowel
- (xix) S.S. Spatula with wooden handle
- (xx) GI Tray 10" x 12"
12" x 18"
18" x 24"
Enamel Trays 10" x 12"
12" x 18"
18" x 24"
- (xxi) Hot Air oven
- (xxii) Soil Density Apparatus
- (xxiii) Cube Mould – 70.6 x 70.6 x 7.6 mm
- (xxiv) Cylindrical Measures as per IS:2386 (Part-III)
- (xxv) Liquid limit device.
- (xxvi) Compaction apparatus
- (xxvii) Augers-screw type
- (xxviii) Auto level Model : B-40
- (xxix) G.I. sieves 450 mm dia coarse sieves
- (xxx) Vibrating Machine (Mould Vibrator)
- (xxxi) Concrete Mixer Laboratory
- (xxxii) Humidity cabinet digital.
- (xxxiii) Rapid Moisture meter.
- (xxxiv) Compression testing machine hydraulic 2000 KN
- (xxxv) Concrete Testing hammer imported (Rebound Hammer)
- (xxxvi) (a) Kirloskar Green silent DG Set
(b) Installation, fitting, fixing, earthing unloading with wire etc.
(c) Diesel consumption in a year

4. यह कार्य वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 तक पूर्ण किया जाएगा।

5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय :-

- (i) राज्य स्कीम माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग मुख्य शीर्ष - 4701 - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -800- अन्य व्यय, उप शीर्ष-75- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष -07- अन्य व्यय 59- अन्य व्यय (Other charges) (49S470180 800750759) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत रु० 2200.00 लाख का बजट प्रावधान वर्ष 2018-19 में है।




6. प्रयोगशाला हेतु क्रय किए जाने वाले उपकरणों, सामग्रियों की लागत गुणवत्ता एवं अधिष्ठापन का कार्य के क्रम में सभी निर्धारित नियमों एवं विशिष्टियों का पूर्ण पालन किया जाना अनिवार्य है।
7. कंडिका 03 में अंकित मशीनो का क्रय की कार्यवाही स्थापित वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।
8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
9. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
10. प्रशासनिक स्वीकृति के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए गए कार्य से प्रयोगशाला पूर्ण रूपेण क्रियाशील कराया जाना आवश्यक होगा।
11. सम्पूर्ण कार्य कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल मेदिनीनगर द्वारा कराया जायगा एवं कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
13. इस कार्य के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंध है।
14. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार द्वारा की जायगी।
15. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।
16. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिन् रॉची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/कार्य/881/2015...../ रॉची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, रॉची को दो आतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची का प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





ह०/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक-1/पी0एम0सी0/कार्य/881/2015...../ राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

32/18-19 ज.खी.

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक-1/पी0एम0सी0/कार्य/881/2015...../ राँची, दिनांक- 23.10.2018

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, राँची/ कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/18
(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

23/10/18